न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/132/2025 दायर दिनांक 16.09.2025 रजि0 न0 2025/338

अपीलार्थीः–

श्री किशन सिंह धानावत, अध्यक्ष अलवर सहकारी उपभोक्ता भंडार नं० 11, शिवपुरा, केडलगंज, अलवर जिला अलवर (राज.)

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन रसद अधिकारी, जिला अलवर (राजस्थान)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 13.10.2025

1. अपीलार्थी उपस्थित, प्रत्यर्थी अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया ।
3. अपीलार्थी ने इस कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–6 (1) के तहत सूचना आवेदन दिनांक 09.07.2025 के परिपेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराने से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।
4. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 23.09.2025 को उपस्थित आवें।
5. अपीलार्थी उपस्थित आया तथा प्रत्यर्थी का आज दिनांक तक कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है प्रत्यर्थी द्वारा निर्धारित समय सीमा में जवाब एवं सूचना से अवगत नहीं कराया जाने पर प्रत्यर्थी की एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है एवं अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना से अवगत नहीं कराये जाने पर अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में अपीलार्थी को 15 दिवस में पंजीकृत पत्र के माध्यम से निःशुल्क सूचना उपलब्ध कराई जावे एवं भविष्य में उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले सभी आवेदन पत्रों का समयावधि में सूचना उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करावें। उभय पक्ष को निर्णय की प्रमाणित प्रति भिजवाई जावे।
7. आज दिनांक 13.10.2025 को निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्राकिंत किया गया ।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर